



# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-5

अंक : पन्द्रहवाँ

वर्ष : 2009 वि.सं. : 2066

बिक्री के लिये नहीं

“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो—कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो”

अध्यक्ष—जस्टिस एन.के. जैन

## राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा—निर्देश

(माह अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2009 तक)

परिवाद संख्या— 09/17/1829 में *महानिदेशक (कारागार)* व *प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग* से अपेक्षा की गई कि *The Prisoners (Shortening of Sentences) Rules, 2006* के प्रावधानों के अनुसार आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करने के मामले कमेटी के सामने तुरन्त समय पर रखे जाये, जिनका शीघ्र निस्तारण हो सकें।

परिवाद संख्या— 09/33/2886 में *प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार* से अपेक्षा की गई कि वह जेल में हो रही अवैध वसूली एवं अमानवीय यातनाएँ देने सम्बन्धी शिकायतों की सत्यता की जांच हेतु विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन करने और जेल प्रशासन से सम्बन्धित नीतियों और कार्यप्रणाली में सुधार हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही करेंगे।

परिवाद संख्या— 09/04/2775 में जिला *पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा* व *रजिस्ट्रार,, सहकारिता विभाग* को निर्देश दिए गये कि वे एनएचआरसी के दिशा—निर्देश दिनांक 25 सितम्बर 2009 की पालना करते हुए अपेक्षा की कि वे मानव अधिकार आयोग के मिलते—जुलते नाम से संस्थाओं द्वारा लोगों को गुमराह करने की शिकायत मिलने पर कानूनसम्मत कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से आयोग को सूचित करें।

परिवाद संख्या—08/17/2353 में आयोग द्वारा दिए गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना में *परिवहन विभाग, राजस्थान* द्वारा परिवहन निगम की बसों पर तम्बाकू के विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के निर्देश देते हुए आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या— 09/17/1842 में *सेंट ऐंसलम स्कूल, मानसरोवर* से जानकारी चाही कि क्या उनकी संस्था द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में दिए गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के लिए क्या किसी कमेटी का गठन किया गया है ?

परिवाद संख्या—07/17/2260 में *प्रमुख शासन सचिव— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, प्रधानाचार्य एस0एम0एस0 मेडिकल कॉलेज, अधीक्षक— एस0एम0एस0 हॉस्पिटल व माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री* से यह अपेक्षा की गई कि अस्पतालों में खराब मशीनों को ठीक करवाने के लिए और मेन्टीनेंस के लिए अलग से बजट का प्रावधान रखने का ध्यान रखा जाये ताकि कागजी कार्यवाही में समय बर्बाद ना हो और मरीजों का समय पर ईलाज हो सकें व फिलहाल खराब पडी मशीनों व कलपुर्जों को बदलवाने/सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

परिवाद संख्या— 09/32/1236 व 09/32/1247 में महानिदेशक (पुलिस) व महानिदेशक (जेल) के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक उदयपुर व अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को निर्देश दिए गये कि वे बंदियों की जेल में, उन्हें कोर्ट ले जाते समय व हवालात में सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम करें और उन तक किसी प्रकार का हथियार ना पहुंचे, इस हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें, जिससे आयांदा हवालात में मारपीट या हत्या की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

परिवाद संख्या— 09/33/1604 में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ को हिदायत दी गई कि परिवादी को धमकी दिए जाने की शिकायत मिलने पर वस्तुस्थिति देखकर कानूनसम्मत कार्यवाही की जाये।

परिवाद संख्या— 09/17/1618 में आयोग के निर्देश पर विपक्षी को धारा— 107, 116 दं.प्र.सं. से पाबंद किया जाकर सूचित किया गया।

परिवाद संख्या— 09/17/4014 में आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टर द्वारा परिवादी का नाम मतदाता सूची में जोड़कर आयोग को सूचित किया गया।

**विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं / एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ-साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बाबत चर्चा की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :-**

दनांक— 1 अक्टूबर 2009 को **Help Age India** द्वारा *International Day for Older Persons* कार्यक्रम में हेल्प ऐज के स्टेट रिप्रजेन्टेटिव राजकिशोर,, रेयान इन्टरनेशनल स्कूल की प्राचार्या मैडम सरिता कटियार,, शिक्षकगण, छात्र-छात्राओं व उपस्थित वृद्ध, अस्वस्थ महानुभावों के साथ।

दिनांक— 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग एवं राज्य क्रीडा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव श्री ललित के पंवार, अध्यक्ष बी बी मोहन्ती, सचिव श्री भटनागर,, ओलम्पियन गोपाल सैनी,

माननीय सांसद श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री रामेश्वर चौधरी, मैडम रेनु सिंह, डिसऐबल्ड प्रतिभागियों व अन्य प्रबुद्ध महानुभावों के साथ।

दिनांक— 28 अक्टूबर 2009 को जगन्नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू में *Relevance and Role of Law for Protecting Human Rights* विषय पर आयोजित गोष्ठी में यूनिवर्सिटी के डीन/ डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ डा० गुरशरण वरनदानी, डा० महेन्द्र तिवाडी, लेक्चरर्स, एवं छात्र-छात्राओं के साथ।

दिनांक— 29 अक्टूबर 2009 को *Amity University Rajasthan Jaipur* द्वारा *Human Rights & Duties* विषय पर आयोजित गोष्ठी में वाइस चांसलर पदमश्री प्रॉ० राजपाल एस सिरोही व प्रॉ० डा० राजमल डूंगावत, लेक्चरर्स, एवं छात्र-छात्राओं के साथ।

दिनांक— 7 नवम्बर 2009 को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर द्वारा *Cancer Awareness Day* पर आयोजित निःशुल्क जांच शिविर और प्रदर्शनी में संस्था के कार्यकारी निदेशक, डा० सेठी, डा० पाटनी, ट्रस्टीज, कैंसर पेशेन्ट्स व जयपुर के अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के साथ।

दिनांक— 6 दिसम्बर 2009 को सोशल सिक्यूरिटी फाउंडेशन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन निवारण में कठिनाईयां एवं सुधार विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में सर्वश्री एम.पी. जयपुरिया, विमल सुराणा, त्रिलोकी दास खण्डेलवाल, एन०एम० रांका, डी०पी० शर्मा, डी०सी० गुप्ता, ए.एल. रूंगटा व विभिन्न वरिष्ठ संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के साथ।

दिनांक— 9 दिसम्बर 2009 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा *Workshop on "Human Rights Protection"* विषय पर आयोजित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व ट्रेनर्स के साथ।

दिनांक— 22 दिसम्बर 2009 को MAMTA Health Institute for Mother & Child Meeting on Prohibition of Child Marriage Act, 2006. निदेशक अंजली सखुजा, प्रोग्राम मैनेजर

रत्ना गायकवाड़, डॉ. सरिता सिंह—कमिश्नर महिला एवं बाल विभाग, मैडम फ्रेंसेस्का बरोलो—रीजनल मैनेजर व अन्य डेलीकेट्स के साथ प्रचार-प्रसार व सुचारु रूप से क्रियान्वित के लिए चर्चा।

दिनांक— 22 दिसम्बर, 2009 को Positive Women Network of Rajasthan द्वारा आयोजित Public Hearing on Rights of Women Living with HIV/AIDS पर संस्था की प्रेसिडेंट मुकेश कुमारी व सुशीला, जस्टिस पानाचन्द जैन, जस्टिस एस.एन. भार्गव, श्री एस.एन. सिंह, आईएसएस (रिटा.), मैटम कविता श्रीवास्ताव (पीयूसीएल), डॉ. सरिता सिंह—कमिश्नर महिला एवं बाल विभाग, मैडम प्रियंवदा सिंह, डॉ. पवन सुराणा, सामाजिक न्याय विभाग की अति. निदेशक, मैडम पिकल कंवर, नेटवर्क के मैम्बर्स एवं एचआईवी पीड़ित महिलाएँ व अन्य महानुभावों के साथ।

**अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर 2009 पर मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रमों में माननीय अध्यक्ष महोदय ने शिरकत की जिनमें कुछ निम्न हैं:—**

1. **All India Human Rights Association (AIHRA)** द्वारा बिडला आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री एम0 यू0 दुआ, सेक्रेट्री जनरल एच0एस0 तंवर, स्टेट पैट्रन श्री ओमप्रकाश मोदी एवं बजरंग लाल खेतान, स्टेट कॉडिनेटर श्री अनिल शर्मा, जस्टिस एन0एल0 टिबरेवाल, जस्टिस एस0एन0 भार्गव, देश-विदेश से आये प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को मानवाधिकार विषयों पर सम्बोधित किया।

2. **एस0एस0 जैन सुबोध स्कूल** द्वारा आयोजित 1000 छात्र-छात्राओं की रैली को हरी झण्डी दिखाकर गांधी सर्किल व अम्बेडकर सर्किल की ओर रवाना किया। इस आयोजन पर स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती बेला जोशी, डा0 संजय पाराशर व अन्य प्राध्यापक आदि भी उपस्थित थे।

3. **अग्रवाल बी. एड0 कॉलेज** में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने कविता, नाट्य मंचन, पपेट शो आदि के द्वारा मानवाधिकार का प्रचार-प्रचार किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल, शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रेमनारायण गुप्ता, महासचिव आलोक फतेहपुरिया, उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, प्रिंसिपल डा0 साधना गोदिका के

साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की गई।

4. **गीता बजाज बी.एड0 महाविद्यालय** में आयोजित कार्यक्रम में संस्था के चैयरमैन राजकुमार काला, संयुक्त सचिव नागरचन्द शर्मा, प्रिंसिपल संध्या अग्रवाल, राजस्थान पत्रिका के एडिटर (रीडर्स) आनन्द जोशी, अन्य प्राध्यापकों व छात्र छात्राओं के साथ मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।

5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व ओटीएस के सौजन्य से आयोजित Training of Trainers for Human Rights में प्रोग्राम डायरेक्टर आर0के0 चौबीसा व 27 प्रतिभागियों के साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की गई।

6. **सीनीयर सिटीजन फोरम** में आयोजित कार्यक्रम में फोरम के प्रेसिडेंट डी0पी0 शर्मा, सचिव के0के0 छंटानी, मैडम प्रेरणा अरोडा (पीपुल्स ट्रस्ट) व अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।

माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह व पुखराज सिरवी ने क्रमशः श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिला मुख्यालय के कार्यक्रमों में शिरकत की।

**आर्टिकल- 51-ए में निहित कर्तव्यों की जागरूकता कार्यक्रम**

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ-साथ आमजन में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय **संविधान के आर्टिकल- 51ए** की मंशा के अनुरूप संकल्प के लिए शुरु की गई मुहिम के तहत विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा सुबह की प्रार्थना के समय संकल्प दोहराया जा रहा है। अन्य कई स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ **आर्टिकल- 51ए** का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। जिनमें से पूर्व में करीब **88 जनों व संस्थाओं** ने आयोग को इस संकल्प के प्रचार-प्रसार की सूचना दी है, जो प्रशंसनीय है।

इस त्रैमास में भी विभिन्न महानुभावों व संस्थाओं ने स्वयं के सौजन्य से **आर्टिकल-51ए** का प्रारूप छपवा कर वितरित किया, जिनमें से कुछ निम्न है :-

- यातायात पुलिस, जयपुर।

- विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट WORLD जयपुर। (O.T.S.)
- श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर। (English, Hindi)
- M.D. Group of Education, Sikandra, Agra. (English, Hindi)

इनके अलावा कुछ संस्थाओं ने इस त्रैमास में भी संकल्प दोहराने के साथ-साथ आयोग द्वारा तैयार की गई सी0डी0 अपने-अपने कार्यक्रमों में प्रदर्शित करने की सूचनाएँ दीं हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं:—

- अधिवक्ता परिषद्, राजस्थान जिला ईकाई— बीकानेर
- महावीर सीनीयर सैकण्डरी स्कूल, जयपुर
- All India Human Rights Association (AIHRA) RAJASTHAN.
- राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में।
- AMITY UNIVERSITY, RAJASTHAN JAIPUR
- JAGANNATH UNIVERISTY, CHAKSU JAIPUR
- पाजिटिव वूमन नेटवर्क ऑफ राजस्थान, जयपुर।
- हेडकॉन, जयपुर।
- Judicial Academy, High Court Madras.
- Tamilnadu State Human Rights Commission, Chennai.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के सहयोग से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम

दिनांक— 20.11.2009 को *Gender Sesityation under Human Rights* विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. राजीव शर्मा, डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव व 12 फेकल्टी मेम्बर्स/रिसोर्स पर्सन्स— महामहिम राज्यपाल की अति0 मुख्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी हूजा, जयपुर रेंज प्रथम के महानिरीक्षक (पुलिस) श्री बी.एल.सोनी, प्रो. लाडकुमारी जैन, प्रो0 जी.एस.

करकरा, एमिटी यूनिवर्सिटी के डा0 राजमल डूंगावत, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के डा0 महेन्द्र तिवाडी एवं पहल पीपुल्स ट्रस्ट की मैडम प्रेरणा सिंह व आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा आई0जी (पुलिस) ने 58 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार सी0डी0 भी प्रदर्शित की गई।

दिनांक 3 व 4 दिसम्बर 2009 को *Child Rights and Child Protection* विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. राजीव शर्मा, डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव व 22 फेकल्टी मेम्बर्स/रिसोर्स पर्सन्स— जस्टिस वी.एस.दवे, जस्टिस एस. एन. भार्गव, जस्टिस वाई.आर. मीणा, पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह, जस्टिस करणी सिंह राठौड, राज्य के महाधिवक्ता श्री जी.एस. बाफना, डॉ. टी.पी. जैन यूनिसेफ की शिखा वाधवा, पूर्व अति0 मुख्य सचिव श्रीमती अल्का काला, प्रमुख शासन सचिव मालोविका पंवार, भागीरथ चौधरी, लॉ कॉलेज के डा0 एच0एम0 मित्तल, मनोचिकित्सक डा0 ललित बत्रा, 'प्रथम राजस्थान' संस्था के विजय सिंह शेखावत, डा0 ओ.पी.शर्मा— रिटा0 जिला न्यायाधीश, मैडम ज्योत्सना राजवंशी, प्रयास संस्था की मैडम जतिन्दर अरोडा, ज्योति शर्मा, दिशा संस्था की मैडम रेणू सिंह, श्री जीवराज सिंह—डिप्टी लेबर कमिश्नर, आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा आई0जी (पुलिस) ने 85 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार सी0डी0 भी प्रदर्शित की गई।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 1.10.2009 को 1075 प्रकरण शेष थे। इस त्रैमास में नये परिवाद 780 आये तथा नये व पुराने कुल 728 प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 31.12.2009 को 1127 प्रकरण शेष रहे।

**नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ**

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, सदस्यगण- जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, सचिव एन.आर. यादव, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in Website : www.rshrc.nic.in Fax : 0141-2227738 Tel. : 2227183

Book  
Post